categories of borrowers, whether in the private or public sector.

As far as Government guarantees to public sector banks for loans granted to public sector undertakings are concerned, these are considered on a case to pass basis.

IMF meeting in Washington

5307. **SHRI RAMDAS AGARWAL:** Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the forthcoming International Monetary Fund meeting in Washington will discuss "IMFs Surveillance" as well as "acceptable guidelines for capital flow control" as reported in a newsitem published in the 'Hindustan Times' dated 20th April, 1995; if so, the details thereof;

(b) what are the other steps on the Agenda; and

(c) whether any decision has been taken on the need to further broaden this resource base of the funds of IMF at the meeting, as well as role of IMF?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) The meeting of the Interim Committee of the Board of governors of IMF has since been held in Washington D.C. on 26th April, 1995. The agenda for the meeting included discussions on the following topics:—

(i) The World Economic Outlook including matters relating to the prospects in industrial, developing and transition countries; adequacy of global savings and cooperation to strengthen global expansion.

(ii) The role of the IMF in strengthening surveillance by the IMF over its members; issues relating to external debt of the poorest countries: strengthening the resource base of the IMF and the issue of SDR allocation and implications of capital flows.

(c) There was a consensus in the Interim Committee meeting that the evolving role of the IMF in an environment of increased globalisation and integration of markets should include strengthened Fund surveillance in a symmetrical manner. The Committee further desired that the executive Board of the IMF should continue to review the adequacy of the resource base of the funds of IMF

वस्त्र उद्योग के संबंध में उत्पाद शुल्क में की गई वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन

5308. **श्री जनेश्वर सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फेडरेशन ऑफ हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कपड़ा उद्योग पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि किये जाने का विरोध कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने उत्पाद-शुल्क में वृद्धि किये जाने से पूर्व सभी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन करने के लिए किसी कार्यदल का गठन किया था;

(ग) क्या सरकार उक्त फैसले में लचीला रुख अपनाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) हां जी। उत्पाद शुल्क छूट बहाल करने के लिए सरकार को हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार ने दिनांक 6 अप्रैल, 1995 की अधिसूचना सं० 80/95-के०उ०शु० को जारी करके काटन के बुने हुए फैब्रिकेशन पर अब उत्पाद शुल्क छूट को बहाल कर दिया है।

रुपये के मूल्य में गिरावट

5309. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में रुपये के वास्तविक मूल्य

में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुद्रा के मूल्य में गिरावट 1982—100 के आधार सहित औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पारस्परिक विभिन्नता के रूप में स्थापित नीचे सूचित की गई है:

वर्ष	रुपये का मूल्य (पैसे)
1992	42.18
1993	39.66
1994	35.92
1995	34.36*

* सूचना फरवरी माह के लिए है, यह अन्तिम महीना है जिसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक कामगारों के लिए वर्तमान समय में उपलब्ध है।

(ख) किसी भी समय के बिन्दु पर रुपये के मूल्य का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की प्रमात्रा से है जो कि इसे खरीद सकती है जिसे आगे चलकर सामान्य मूल्य स्तर में घट-बढ़ द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(ग) कीमतों में वृद्धि को नियंत्रण में रखे जाने की आवश्यकता के बारे में सरकार सतर्क रहती है और यह सुनिश्चित किए जाने के लिए कि मुद्रास्फीतिकारी दबाव नियंत्रण में है, अनेक उपाय किये गये हैं। किए गए कुछ उपाए हैं:—

(i) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुली बाजार बिक्री के माध्यम से सार्वजनिक भण्डारों से खाद्यान्न की निर्गुमित।

(ii) चीनी के आयात को शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस पर रखना।

(iii) चीनी का शून्य शुल्क पर आयात करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(iv) वर्ष 1994-95 के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस के तहत पामोलीन तेल के आयात की अनुमति देना।

(v) वर्ष 1994-95 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए 1.07 लाख टन पामोलिन तेल का आयात करना।

(vi) मार्च, 1995 से 30 प्रतिशत के घटे शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत प्रमुख खाद्य तेलों के आयात की अनुमति देना।

(vii) शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत दाल के आयात की अनुमति देना।

(viii) वर्ष सरकारी हुंडियों के निर्गम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार के ऋण लेने पर नियंत्रण लगाना तथा अनुसूचित चलनिधि अनुपात में वृद्धि करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करने सहित कई उपायों के जरिए मौद्रिक अभिवृद्धि को नियंत्रित करना

(ix) 1995-96 के बजट में उत्पाद एवं सीमा शुल्क में इस तरह की कमी करना जिससे मुद्रास्फीति घट सके।

उपदान (ग्रेच्युटी) की राशि पर लगाया गया आयकर

5310 श्री गोविन्दराव आदिक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अहमदनगर जिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक फेडरेशन और अन्य संगठनों ने अनुरोध किया है कि कर्मचारियों को दी जाने वाली उपदान की राशि पर आयकर नहीं लगाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, हां।

(ख) उनके प्रत्यावेदन में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी निधि के भुगतान के संबंध में पूरी छूट देने का अनुरोध किया गया है।